राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांक एफ.61(64) SSAAT/ कलैण्डर / 2020–21 / 6236-57 जयपुर दिनांक 09/02/2022

(आदेश सं -80)

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त।

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गत दो वर्ष 2019–20 से 2020–21 (प्रथम / द्वितीय छःमाही) तथा वर्ष 2021–22 (प्रथम छःमाही) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दो वर्षो (2019–20 से 2020–21) के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम बाबत।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों का ग्राम सभा द्वारा संलग्न कलेण्डर में अंकित ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु **ग्राम सभाओं का आयोजन माह मार्च 2022 में** सम्पन्न करने के लिए आपके स्तर पर निम्नांकित कार्रवाई सम्पादित की जानी है:–

1. **अवधि** :– आपके जिले की पंचायत समितियों की चयनित ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना का वर्ष का 2019–20 से 2020–21 के प्रथम / द्वितीय छःमाही एवं वर्ष 2021–22 के प्रथम छःमाही (1 अप्रेल, 2021 से 30 सितम्बर, 2021) तक के पूर्ण, अपूर्ण व प्रगतिरत समस्त कार्यो एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत, निर्मित समस्त आवासों का वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।

2. **कलैण्डर** :– संलग्न सूची अनुसार चयनित ग्राम पंचायतों में दिनांक 3 से 9 मार्च, 2022 के मध्य सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

3. **सामाजिक अंकेक्षण समिति हेतु ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण :–**

प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण दल में एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व 5 ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा। आपको पत्रांक 6002 दिनांक 31.01.2022 द्वारा राजीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, साथिनों, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों की सूचियां प्रेषित की गई थी। इन लोगों अथवा आपके जिले में कार्यरत स्वच्छताग्राहियों में से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जावे। एक ग्राम पंचायत के लिए गठित की जाने वाली सामाजिक अंकेक्षण समिति में दो अथवा अधिकतम तीन ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्ति पुराने अनुभवी चयनित एवं प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों में से लिया जाना है। उक्त चयन कार्यवाही **दिनांक 10 फरवरी, 2022 तक** कर सामाजिक अंकेक्षण समितियों का गठन किया जावे और इसकी सूचना **दिनांक 11 फरवरी, 2022 तक** निदेशक, सामाजिक

अंकेक्षण को ई–मेल पर प्रेषित की जावे। संबंधित चयन विनियमों के अनुसार न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण लोगों को ग्राम संसाधन व्यक्ति और न्यूनतम स्नातक अथवा उच्चतर शिक्षित व्यक्तियों को ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के रूप में लिया जा सकेगा।

इनका प्रशिक्षण विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। जिसकी तिथियाँ एवं दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है।

4. <u>सामाजिक अंकेक्षण समिति को ग्राम पंचायत एवं लाईन विभागों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना</u> :–

संबंधित ग्राम पंचायत का ऑनलाइन उपलब्ध रिकॉर्ड एवं आवश्यकतानुसार भौतिक रिकॉर्ड सामाजिक अंकेक्षण समिति को दिनांक 15 फरवरी, 2022 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. <u>वॉल पेन्टिंग</u> :– माह मार्च, 2022 में सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर में अंकित समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ऑयल पेंट, निर्धारित प्रपत्र में राजस्व ग्राम/वार्ड/मोहल्लों वार दीवार लेखन (Wall Painting) (ऑईल पेंटिंग) कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार /नियमानुसार प्राप्त न्यूनतम दरों पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि आप उचित समझे तो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर के कार्यालय आदेश कमांक एफ.3 ( )राज.संवाद/2021–22/ 769–70 दिनांक 12.10.2021 में अनुमोदित फर्मो से उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग आदि योजनाओं के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्यों एवं लाभार्थियों का विवरण शुद्ध एवं वर्गीकृत रूप में लिखवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। **<u>उक्त समस्त कार्य सम्पादन के लिए संबंधित विकास अधिकारी उत्तरदायी होगें।</u>**

6. <u>सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन</u> :– ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के कम से कम 10 प्रतिशत (कोरम) सदस्यों के बैठने हेतु कोरोना गाइड लाइंस के अनुसार पर्याप्त खुले स्थान पर ग्राम सभा आयोजन की कार्यवाही की जावें। ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की जावे और ग्राम सभा की कोरम पूर्ति सहित वार्तालाप की वीडियो क्लिपिंग प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट के साथ भिजवाना सुनिश्चित करावें।

सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा तैयार की गई सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट एवं जांच के निष्कर्ष सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा पढ़कर सुनाए जाएंगे। ग्राम सभा में कियान्वयन विभागों के संबंधित अधिकारियो की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जावे। आप द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में हुई समस्त कार्यवाही का विवरण ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र संख्या 9 में अभिलिखित किया जावे।

7. **प्रभारी अधिकारी** : – प्रत्येक ग्राम पंचायत वार सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु विकास अधिकारी के अतिरिक्त एक अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे। संबंधित ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण कार्य मय ग्राम सभा आयोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही इस अधिकारी की देखरेख में सम्पन्न होनी अपेक्षित है और इसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर एवं जिला समन्वयक मनरेगा और निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को आगामी कार्य दिवस में भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

8. **नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना** :– राज्य स्तर पर निदेशक, SSAAT के दिशा–निर्देशन में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा और आप द्वारा जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाकर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाया जावें। नियंत्रण कक्ष में सामाजिक अंकेक्षण सम्पादन के दौरान सामाजिक अंकेक्षण दलों को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने, अन्य कोई समस्याऐं प्राप्त हों तो उनका समाधान तुरन्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। उक्त नियंत्रण कक्ष में लगाये गये प्रभारी अधिकारी एवं अन्य सदस्यों के नाम, पद नाम, कार्यालय के दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को दिनांक 14 फरवरी, 2022 तक ईमेल पर प्रेषित किये जावें।

9. अन्य दिशा–निर्देश संलग्न परिशिष्ट–1 पर संलग्न है, जिनके अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की जावे।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं
पंचायतीराज विभाग

क्रमांक एफ.61(64) SSAAT/ कलैण्डर / 2020–21 / 6236-57 जयपुर दिनांक 04/02/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव,श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
4. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक राजस्थान पुलिस, जयपुर।
6. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वंतत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
9. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन / PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके विभागीय आदेश क्रमांक एफ 15(17)पंरावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2020/3585 दिनांक 15.3.2020 में शिथिलता प्रदान करते हुए सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन के लिए सभी संबंधित को दिशा निर्देश जारी करावें ।
12. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा को भेजकर निवेदन है कि जारी कलैण्डर्स के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अपलोड कराने, प्राप्त रिपोर्ट्स की अनुपालनाएँ भिजवाने और सम्पादित किये गये कार्य के मानदेय भुगतान अविलम्ब (ब्लॉक संसाधन व्यक्ति/ग्राम संसाधन व्यक्ति) को करवाकर रिपोर्ट निदेशक, SSAAT को भिजवाने हेतु जिलों को निर्देशित कराने का श्रम करें।
13. निजी सचिव, निदेशक, पंचायतीराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभागीय आदेश क्रमांक एफ 15(17)पंरावि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2020/3585 दिनांक 15.3.2020 में शिथिलता प्रदान करते हुए सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन के लिए सभी संबंधित को दिशा निर्देश जारी करावें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, को भेजकर निवेदन है कि आवश्यकता होने पर सामाजिक अंकेक्षण दलों का उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
15. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
16. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को पालनार्थ।
17. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
18. लेखाधिकारी,(प्रशासन)/लेखाधिकारी(सामा.अंके.),सहायक लेखाधिकारी (समस्त)/कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
19. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कलैण्डर्स, रिपोर्ट्स, अनुपालना (ATRs) रिपोर्ट्स एवं मानदेय भुगतान की स्थिति नियमित रूप से नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड होना सुनिश्चित करावें और सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
20. मै. B.R. Softech Pvt.Ltd., जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सोसायटी के प्रोग्रामर द्वारा आपको जो समस्त सूचनाऐं भेजी जावे उनको विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
21. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग
22. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा
जवाबदेही एवं पारदर्शिता
सोसायटी (SSAAT)